सत्यमेव जयते

संख्या : 2692 / जी0एस0(शिक्षा) / A15-43 / 2020

प्रेषक,

स्वाति एस0 भदौरिया,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 23 दिसम्बर, 2024

महोदय,

कृपया अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक संख्या–240523112343 के माध्यम से इस सचिवालय को प्रेषित निम्नलिखित प्रस्ताव का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम–2014 की धारा–36(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा0 कुलाधिपति द्वारा अनुमोदन / स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :–

महाविद्यालय / संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता प्रति सत्र (कुलपति की संस्तुति के अनुसार)	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
श्री स्वामी भूमानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, रानीपुर झाल, ज्वालापुर, हरिद्वार।	बी0एम0एल0टी0	30	2022–23 एवं 2023–24
	बी0एम0आर0आई0टी0	20	

(1) प्राभूति राशि के मानक अपूर्ण है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत संस्थान से शैक्षिक सत्र 2024–25 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राभूति राशि के मापदण्ड आवश्यक रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे, अन्यथा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

(2) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित

Generated from eOffice by VED PRAKASH MUHAR, RO-VPM, REVIEW OFFICER, Rajbhawan on 27/12/2024 01:07 pm

I/2692/2024

मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(3) विश्वविद्यालय, नियामक संस्था व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तो/उपबंधों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करें व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

Signed by Swati S Bhadauria
Date: 23-12-2024 14:39:51

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या : (1)/जी0एस0 (शिक्षा)/ A15-43/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/निदेशक, सम्बन्धित संस्थान।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

Signed by Gajendra Dutt Nautiyal
Date: 23-12-2024 14:45:41

(जी0डी0 नौटियाल)
कुलाधिपति के उपसचिव।

Generated from eOffice by VED PRAKASH MUHAR, RO-VPM, REVIEW OFFICER, Rajbhawan on 27/12/2024 01:07 pm